समाहरणालय, जहानाबाद

(जिला गोपनीय शाखा)

फोन न0: 06114–223001,223004
फैक्स न0 :–06114–223142
ई–मेलः–dm-jehanabad.bih@nic.in

पत्रांक 2099 /गो0
दिनांक 13 वीं, नवम्बर, 2014

प्रेषक,

आदित्य कुमार दास,भा.प्र.से.
जिलाधिकारी, जहानाबाद।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक, जहानाबाद।
सिविल सर्जन, जहानाबाद।
अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद।

विषय :– पानमसाला–जर्दा–गुटखा–सुपाड़ी के बिक्री पर पूर्णतः रोक लगाने के संबंध में।

प्रसंग :– कार्यालय खाद्य संरक्षा आयुक्त, पटना का ज्ञापांक FSC/22/2012/16 दिनांक 11.11.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र की छायाप्रति संलग्न कर भेजी जा रही है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि दिनांक 29.11.2014 से 06.11.2015 तक पानमसाला –जर्दा–गुटखा–सुपाड़ी आदि उत्पादों का विनिर्माण, भंडारण, वितरण, परिवहन तथा विक्रय पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। ब्रिक्री स्थल पर भंडारण वर्जित रहेगा अर्थात भंडारण सिर्फ वितरक/ थोक विक्रेता अपने गोदाम में 28.11.2014 तक ही कर सकेंगे।

विदित हो कि वर्तमान में धड़ल्ले से पानमसाला –जर्दा–गुटखा–सुपाड़ी आदि गुमटी/दुकानों में ब्रिक्री किया जा रहा है, जिस पर छापामारी कराते हुए पूर्णतः रोक लगाने की आवश्यकता है।

अतएव आप सभी अपने स्तर से ऐसे दुकानों जिस पर इन उत्पादों की बिक्री की जाती हो, वहॉ छापामारी कर इसके रोक पर प्रतिबंध लगायें तथा प्रासंगिक पत्र में दिये गये निदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही इस संबंध में आपके स्तर से किये जाने वाले कार्रवाई का प्रतिवेदन जिला गोपनीय शाखा, जहानाबाद को भी उपलब्ध कराई जाय।

अनुलग्नक : यथोपरि।

विश्वासभाजन,
13/11/14
जिलाधिकारी, जहानाबाद।

ज्ञापांक 2099 /गो0, जहानाबाद दिनांक 13 वीं नवम्बर, 2014

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जहानाबाद जिला एवं सभी अंचलाधिकारी, जहानाबाद जिला को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए निदेश दिया जाता है कि अपने–अपने क्षेत्र में भी इसका अनुपालन करते हुए प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

13/11/14
जिलाधिकारी, जहानाबाद।

Com2\E:\2014\01 forwarding.doc